



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3508]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1, 1939

No. 3508]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017/PAUSA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4010(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत गठित एसईईपीजेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण को, उसे होने वाली निम्न विशिष्ट आय के संबंध में एतद्वारा अधिसूचित करती है, यथा:—

- (क) एसईजेड प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों पर 'एसईजेड' की विभिन्न कार्यरत इकाइयों में लीज किराया/सेवा प्रभार;
- (ख) गेटपास एंट्री फीस विभिन्न इकाइयों से फाइन और पेनल्टी एवं अन्य प्रकीर्ण आय जैसे कचरे की बिक्री से आय;
- (ग) बैंक जमा राशि और निवेश पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्त पर लागू होगी कि एसईईपीजेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण:—

- (क) किसी अन्य वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति व गतिविधि अपरिवर्तनीय रहेगी; और
- (ग) यह आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (च) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के लिए लागू समझी जाएगी एवं यह वित्त वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-20 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 99/2017/फा. सं. 300196/5/2016-आईटीए-I]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।